0 न0 ....25/2023 तारीखरजूः– 23.6.23

उनवानः– सूका बनाम रामजीलाल वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
23/6/23	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री विष्णु कंटक एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को दिनांक 24.07.2023 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 231/0.23 है0 स्थित ग्राम ~~मालीपुर~~ खोहरा तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें तथा दखलन्दाजी नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.07.2023 को पेश हो। (गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	2384-85 23/6/23

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:56:59 IST
Reason: Self Attested

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला ...

फर्द अहकाम

1/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। अप्रार्थी वकील को जवाब पेश करने की हिदायत दी गई। वास्ते जवाब पेश करने दिनांक 22.4.24 को पेश हो।

2/4/24 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी...अवकाश पर/पी.ओ. है। पत्रावली गतानुसार दिनांक...13-5-24 को पेश हो।

13/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। अप्रार्थी वकील को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया। वास्ते जवाब पेश करने दिनांक 30/5/24 को पेश हो।

30/5/24 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 27.6.24 को पेश हो।

6/24 पत्रावली प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर आज तलब की गई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र (राजीनामा) का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए अब कोई भी कार्यवाही नहीं चाहते हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

Hot. Pms

सु.कु./2/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:56:59 IST
Reason: Self Attested